न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–53 सन् 2017

मृत्युंजय मोहन.....वादी

बनाम

कृष्ण कुमार लाल वो अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 21.05.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई। आज अभिलेख वादी की ओर से दिनांक 07.12.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि हकियत एवं बंटवारा वाद सं0 129/1957 वो बंटवारा वाद सं0 136/1957 का एनालोगस जजमेंट की सच्ची प्रतिलिपि, हकियत वाद सं0 468/2016 में जमा है जो इसी न्यायालय में है। सिविल वाद सं0 01/1973–74 से संबंधित जिला गजट (बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित) जो हकियत वाद सं0 279/2015 में प्रदर्श चिन्हित हो चुका है वो भी इसी न्यायालय में दाखिल है। धारा 107 दं0प्र0सं0 के मुकदमे में बहाल अमीन की प्रतिवेदन की सच्ची प्रतिलिपि प्रदर्श–5 इसी न्यायालय में हकियत वाद सं0 279/2015 में जमा है। अतः निवेदन है कि संबंधित न्यायालय से उपर्युक्त कागजात को अलग किया जाए ताकि इस वाद में जमा उक्त छायाप्रति कागजात को प्रदर्श चिन्हित किया जा सके।

उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 01.02.2022 को दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी का आवेदन कानूनी प्रावधान के अनुसार स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादी का कागजात हकियत वाद सं0 279/2015 में प्रदर्श अंकित हो गया है। वैसी परिस्थिति में उसका सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त

कर दाखिल की जा सकती है। वादी जानबूझकर वाद की कार्रवाई को लंबा खिंचने के नियत से आवेदन दाखिल किया है। अतः निवेदन है कि वादी के आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुतिकरण हेतु नियत चला आ रहा है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श अकित करने हेतु आवेदन में लिखित कागजातों को तलब करने हेतु दाखिल किया है। वादी ने उपर्युक्त कागजातों की छायाप्रति इस वाद में दाखिल किया है। अतः न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकृत किया जाता हैं।

कार्यालय लिपिक को निदेश दिया जाता है कि वे आवेदन में लिखित कागजातों को अवलोकनार्थ अभिलेख पर संलग्न करें।

वाद दिनांक 18.06.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।